पुलिस सेवा में भर्ती। किसी भी मामले में, तथ्य है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी नहीं है जिसके आधार पीरी उनकी नियुक्ति को अलग रखा जा सकता है जो पहले से ही 4 सितंबर, 1989 के आदेश उपाबंद P-1 द्वारा किया गया था। इसलिए, आपराधिक मामले में उसके बरी होने से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण ना करना याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर रोक लगा देने का कोई आधार नहीं है।"

(9) उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस रिट याचिका की अनुज्ञात देते हैं और उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देते है जो की उसके द्वारा अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन है। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को कांस्टेबल ड्राइवर नियुक्त किया गया माना जाएगा जो की उस तारीख के प्रभाव में होज जिस दिन से उस से मेरिट में कम व्यक्तियों का चयन निकाय द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार हुआ था। हालाँकि, वह वेतन के किसी भी बकाया का हकदार नहीं होगा।

R.N.R.

न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार और एम.एम. एस. बेदी के समक्ष

राम सिंह,— *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य , — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 7572 सन् 2006

8 अगस्त, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — याचिकाकर्ता ने विभाग से कार ऋण @10% प्रति वर्ष ब्याज सहित का लाभ उठाया — ऋण राशि का दुरुपयोग के मामले में, दंडात्मक ब्याज अनुमोदन आदेश द्वारा निर्धारित ब्याज की सामान्य दर से @ 4% प्रति वर्ष से भी अधिक और ऊपर — याचिकाकर्ता ऋण राशि का दुरुपयोग कर रहे — संशोधित निर्देशों के आधार पर उत्तरदाता दण्डात्मक ब्याज @10% प्रति वर्ष वसूल कर रहा — एक बार अनुमोदन आदेश द्वारा 4% तक दंडात्मक ब्याज की व्यवस्था की तो एक बाध्यकारी दायित्व पार्टियों के बीच दायित्व लागू हो जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता — याचिका ने उत्तरदाताओं को ब्याज की गणना @ 10% + 4% प्रति वर्ष करने का आदेश देते हुए अनुज्ञात की गई।

अभिनिर्णित, एक बार अनुमोदन को 26 सितंबर, 1995 को अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को यह बताया गया कि 30 नवंबर, 1983 के निर्देशों के आधार पर 4% ब्याज की दर पर दण्ड वसूल किया जाएगा, फिर पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी दायित्व लागू हो जाएगा, जो संशोधित निर्देशों का हवाला देकर उनके अहित में नहीं बदला जा सकता है। संशोधित निर्देश, दिनांक 23 अगस्त, 1993, द्वारा निर्धारित ऋण राशि के दुरुपयोग के मामले में दण्डात्मक ब्याज @10% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध था और अनुमोदन आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1995 में शामिल किया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को ऋण राशि के दुरुपयोग के मामले में निर्धारित दंडात्मक ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर का भुगतान करना था।

(पैरा 5)

एस.एस. चंडी, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए.

हरीश राथे, सीनियर. उप महाधिवक्ता, हरियाणा, उत्तरदाताओं के लिए.

निर्णय

न्यायमूर्ति, एम.एम. कुमार (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता ने 26 सितंबर, 1995 को उतरदाता विभाग, जहां वो काम करता है, से रु. 1,25,000 का कार ऋण @10% प्रति वर्ष ब्याज सहित का लाभ उठाया। अनुमोदन आदेश के अनुसार, दिनांक 26 सितंबर, 1995 को ब्याज @ 10% प्रति वर्ष की दर पर निर्धारित किया गया था। हालाकि, यह स्पष्ठ किया गया की ऋण राशि का दुरुपयोग के मामले में, ऋण के वापस लेने की तिथि से जब तक मूल राशि वसूल नहीं हो जाती, दंडात्मक ब्याज साधारण ब्याज @ 10% प्रति वर्ष की दर से भी अधिक और ऊपर @ 4% प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाएगा। पूर्वोक्त स्थिति अनुमोदन आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1995 (उपाबंद P-1) के खण्ड 6 से स्पष्ट हो रही है और निम्नलिखित रूप में पढ़ा जा सकता है : —

> "6. उनका ध्यान भी निर्देशों में आमंत्रित किया गया है पंजाब सरकार के वित्त विभाग के भ्रूण नं. FD-ऋण-81 (136) / 604, दिनांक 5 मई, 1961 और 49/83- WM (5), दिनांक 30 नवंबर, 1983 जिसके

अनुसार यह स्पष्ठ किया गया की ऋण राशि का दुरुपयोग के मामले में, कार की खरीद के लिए ऋण के वापस लेने की तिथि से जब तक मूल राशि वसूल नहीं हो जाती, दंडात्मक ब्याज साधारण ब्याज @ 10% प्रति वर्ष की दर से भी अधिक और ऊपर @ 4% प्रति वर्ष की दर से वसूल किया जाएगा और ऐसे कर्मचारी को सरकार से सभी प्रकार के ऋणों से भविष्य में वंचित किया जाएगा।"

(2) यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता ऋणराशि का दुरुपयोग किया है और इसलिए, अनुपालन आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1995 (P-1) में किए गए वजीफे के अनुसार 4% अधिक ब्याज का भुगतान करने के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है।

(3) हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत यह है कि ब्याज की राशि की गणना रु. 52,615 @ 10% प्रति वर्ष की गई है और बराबर की राशि रु. 52,615 को 10% प्रति वर्ष दंडात्मक ब्याज की दर के रूप में भी वसूल करने की मांग की गई है। विद्वक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, अनुमोदन पत्र दिनांक 26 सितंबर, 1995 (पी -1) के खंड 6 में निर्धारित, जिसे पहले ही पूर्वगामी पैरा में पुन: पेश किया जा चुका है, दंडात्मक ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

(4) उत्तरदाताओं ने यह पक्ष लिया है कि निर्देश दिनांक 30 नवंबर, 1983 (P-7), जो ब्याज के दंड दर को 4% की दर से निर्धारित करता है को संशोधित किया गया, निर्देश दिनांक 23 अगस्त, 1993 (P-6) के अनुसार और ब्याज दर ऋण राशि के दुरुपयोग के मामले में बढ़ाकर 10% कर दिया गया। अंतः, ब्याज 10% की दंड दर की दर से वसूल करना उचित ठहराया जाना चाहिए। पंजाब वित्तीय नियमों के वॉल्यूम- I, भाग -1 के नियम 10.15 पर भी निर्भरता ली गई है, जिसके तहत यह कहा गया है: —

"10.15 अग्रिमों पर ब्याज ऐसी दर पर लिया जाएगा जैसा की सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।"

(5) दोनों पक्षों के विद्वक अधिवक्ताओं को सुनकर, हमारा यह विचार है कि अनुमोदन को 26 सितंबर, 1995 को मंजूरी मिलने के बाद, 1995 और याचिकाकर्ता

को यह बताया गया कि 30 नवंबर, 1983 के निर्देशों के आधार पर 4% ब्याज की दर पर दण्ड वसूल किया जाएगा, फिर पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी दायित्व लागू हो जाएगा, जो संशोधित निर्देशों का हवाला देकर उनके अहित में नहीं बदला जा सकता है। संशोधित निर्देश, दिनांक 23 अगस्त, 1993 (P-6) द्वारा निर्धारित ऋण राशि के दुरुपयोग के मामले में दण्डात्मक ब्याज @10% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध था और अनुमोदन आदेश दिनांक 26 सितंबर, 1995 में शामिल किया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को ऋण राशि के दुरुपयोग के मामले में निर्धारित दंडात्मक ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से भुगतान करना था।

(6) यह विवाद कि पंजाब वित्तीय नियमों के वॉल्यूम- I, भाग -1 के नियम 10.15, अग्रिम ब्याज के संबंध में लागू होता है, हम इस विचार के हैं कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों के प्रति यह आकर्षित नहीं है क्योंकि नियम दंडात्मक ब्याज के प्रश्न से नहीं निपटते हैं। उपर्युक्त नियम केवल यह दर्शाता है कि अग्रिमों पर ब्याज ऐसी दरों पर शुल्क लिया जाना चाहिए जो सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

(7) उपरोक्त कारणों से रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और आदेश दिनांक 6 जनवरी, 2006 (P-3) और 3 मार्च, 2006 (पी -5) को ख़ारिज किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश किया जाता है कि वह दण्ड ब्याज की गणना 4% प्रति वर्ष ना की 10% की दर से करे और तदनुसार मांग बढ़ाएं। अगर, दण्ड ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से अधिक राशि याचिकाकर्ता से पहले ही बरामद कर लिया गया है और वह धनवापसी का हकदार पाया जाता है, वह उसे आज से दो महीने की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

(8) रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
करनाल, हरियाणा